भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 495

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

झारखंड में वाणिज्यिक कोयला खनन

495. डॉ. भोला सिंह:

श्री काली चरण सिंह:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चतरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित झारखंड में वाणिज्यिक खनन के तहत नीलाम किए गए कोयला ब्लॉकों की संख्या कितनी है तथा उन ब्लॉकों की संख्या कितनी है जहाँ उत्पादन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही शेष ब्लॉकों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश में चतरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित झारखंड में वाणिज्यिक कोयला खदानों से उत्पादित कोयले की मात्रा कितनी है तथा राज्य और देश के कुल घरेलू कोयला उत्पादन में उनका योगदान कितना है;

(ग) देश में चतरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित झारखंड में शीघ्रतर वैधानिक स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण एवं वन मंजूरी तथा सहायक रेल और सड़क अवसंरचना के माध्यम से वाणिज्यिक कोयला खदानों के समयबद्ध विकास को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार के पास वाणिज्यिक कोयला परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने तथा देश में, विशेषकर चतरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय रोजगार और अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : 30 जून 2026 तक, वाणिज्यिक खनन नीलामी मार्ग के माध्यम से कुल 132 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इनमें से, 23 ब्लॉकों ने खान खोलने की अनुमति (एमओपी) प्राप्त कर ली है, और 15 ब्लॉक वर्तमान में कोयले का उत्पादन कर रहे हैं। शेष 8 ब्लॉकों में खान

अवसंरचना विकास के माध्यम से आगे काम हो रहा है, जबकि अन्य 109 ब्लॉक कोयला खान विकास और उत्पादन करार (सीएमडीपीए) के अनुसार अपनी निर्धारित विकास अवधि के भीतर हैं, जो स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण और अवसंरचना सेटअप को कवर करते हुए एक संरचित समयसीमा के माध्यम से प्रगति कर रहे हैं। क्रमिक नीलामी दौरों में आवंटित ब्लॉक तदनुसार उस समय-सीमा के विभिन्न चरणों में हैं।

झारखंड राज्य में, वाणिज्यिक खनन के तहत 37 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इनमें से, 8 वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक चतरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आवंटित किए गए हैं। उनके संबंधित आवंटितियों और वर्तमान स्थिति के साथ इन ब्लॉकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**जिला**	**कोयला ब्लॉक**	**आवंटिती**	**स्थिति**
1	लातेहार	चकला	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	गैर-प्रचालनरत
2और3	हजारीबाग, चतरा	वृंदा और ससई	डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड	गैर-प्रचालनरत
4	लातेहार	उत्तरी धाडू (पूर्वी भाग)	एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड (एनएमएल)	गैर-प्रचालनरत
5	लातेहार	उत्तरी धाडू (पश्चिमी भाग)	एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)	गैर-प्रचालनरत
6	लातेहार	सेरेगढ़ा	रूंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड	गैर-प्रचालनरत
7	लातेहार	वेस्ट ऑफ ट्यूबेड	ओरिएंटल क्वारीज एंड माइंस प्राइवेट लिमिटेड	गैर-प्रचालनरत
8	लातेहार	चितरपुर (संशोधित)	उड़ीसा अलॉय स्टील प्राइवेट लिमिटेड	गैर-प्रचालनरत

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है, चतरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आवंटित सभी 8 ब्लॉक वर्तमान में प्रचालनरत नहीं हैं और विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) : वर्ष 2020 में शुरू किए गए वाणिज्यिक कोयला खनन ने घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देकर, घरेलू कोयले की उपलब्धता बढ़ाकर और आयात पर निर्भरता को कम करके आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वाणिज्यिक कोयला खानों से उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जो

वित्त वर्ष 2021-22 में 1.15 मि.ट. से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 26.12 मि.ट. हो गया है, जो घरेलू उत्पादन में संधारणीय वृद्धि को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, झारखंड राज्य में वाणिज्यिक खानों से कोयले का उत्पादन 0.35 मि.ट. रहा है। यह उल्लेखीय है कि चतरा लोकसभा क्षेत्र में कोई कोयला उत्पादक वाणिज्यिक खान नहीं है। तदनुसार, राज्य और देश के कुल घरेलू कोयला उत्पादन में इन खानों का योगदान उपरोक्त आंकड़ों में परिलक्षित होता है।

(ग) : सरकार ने कारोबार में सुगमता लाने पर ध्यान देते हुए वाणिज्यिक कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए सुधारों का एक व्यापक और संधारणीय कार्यक्रम शुरू किया है। अन्वेषण के क्षेत्र में पूर्वेक्षण लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करते हुए 44 निजी कंपनियों को प्रत्यायित पूर्वेक्षण एजेंसियों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जबकि भू-वैज्ञानिक रिपोर्टों के लिए मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता को एक सुव्यवस्थित सहकर्मी-समीक्षा तंत्र से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा, वन क्षेत्रों में छूट वाले बोरहोल की संख्या प्रति 10 वर्ग किलोमीटर में 25 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है, जिससे अधिकांश परियोजनाओं के लिए अन्वेषण प्रक्रिया काफी सरल हो गई है।

विकास में और तेजी लाने के लिए, कोकिंग कोयले को एक महत्वपूर्ण और कार्यनीतिक खनिज के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, इसे सार्वजनिक परामर्श आवश्यकताओं से छूट दी गई है और प्रतिपूरक वनीकरण के लिए बंजर वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई है। एक प्रमुख प्रक्रियात्मक सुधार में, कोयला नियंत्रक संगठन से खान खोलने की अनुमति की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, और कंपनी का बोर्ड अब यह अनुमोदन प्रदान करने के लिए सक्षम है।

(घ) : उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर में दिए गए उत्तर में दिए गए विवरण के अनुसार सरकार ने देश भर में वाणिज्यिक कोयला खानों के समय पर विकास को सुकर बनाने के लिए कई व्यापक पहलें की हैं। इन पहलों को सभी वाणिज्यिक कोयला परियोजनाओं को समान रूप से लाभान्वित करने और खनन प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन और अवसंरचना के विकास में योगदान देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
